



# उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या  
डी-2/ई-1/2023  
दिनांक 17.03.2023

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 15.04.2023

आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 17.04.2023

आवेदन पत्रों की हार्ड कापी जमा करने की अन्तिम तिथि : 03.05.2023 सायं 5.00 बजे तक

## महत्वपूर्ण:

- (1) "अपूर्ण आन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।"
- (2) "किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।"
- (3) "अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन करने समय सभी चरणों (यथा-रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, फाइनल सबमिट इत्यादि) की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।"

**नोट:-** अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन-लाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर आवेदन करने के पश्चात् दिनांक 03.05.2023 सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची का प्रारूप निम्नवत् है :-

Advertisement No. :	D-2/E-1/2023
Post Name :	
Deptt. No. :	
Registration No. :	
To,	
The Secretary,	
Uttar Pradesh Public Service Commission	
10, Kasturba Gandhi Marg, Prayagraj, U.P.	
Pin Code-211018	
From	
Name & Address of the Candidate	

उक्त उल्लिखित पते की पर्ची को अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऑन-लाइन आवेदन में किये गये किसी दावों के अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**विशेष सूचना :-** (क) "बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित आवेदन/परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।" (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित काल में अपना मोबाइल नम्बर और मान्य e-mail ID देना होगा, जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। उसी मोबाइल नम्बर पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail उनके रजिस्टर्ड e-mail ID पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

## आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु "आन-लाइन आवेदन पद्धति" (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1-आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENTS स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

- User Instructions
- View Advertisement
- Apply

User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु "APPLY" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर सीधी भर्ती के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो "Edit" बटन/विकल्प पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्शन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग- आवेदन शुल्क ₹ 80/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 105/-
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति - आवेदन शुल्क ₹ 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
- दिव्यांग श्रेणी - आवेदन शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/-
- भूतपूर्व सैनिक - आवेदन शुल्क ₹ 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित/महिला

3- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4- सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन: आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, e-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा) अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन Submit करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु एक अवसर अनुमत्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है-

"अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् 'Candidate Personal Details' Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं. (Registration No.), जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा

श्रेणी (Category) भरनी होगी। तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का Authentication OTP (One Time Password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं 0 पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमत्य होगी।"

**नोट: ऑनलाइन आवेदन के जॉचोपरान्त यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र Submit किया है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा Submit अन्तिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा एवं शेष आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे। चूंकि आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया पूर्व प्रस्तर में विहित है अतः इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

## उत्तर प्रदेश आयुष विभाग

01 (एक) पद (01 अनुसूचित जाति), रीडर अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, आरक्षण- अद्यतन शासनादेशानुसार आरक्षण देय है, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (₹ 67700-208700), विभाग संख्या- एस-09/02, शैक्षिक अर्हताएँ- शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :- (अ) अनिवार्य अर्हतायें- 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 5 वर्ष) 3. हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी - 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ - (1) ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा। नोट:- (1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांको तथा पूर्णांको का उल्लेख ऑन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएँ, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। आयु सीमा- न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

## उत्तर प्रदेश आयुष विभाग

03 (तीन) पद (अनारक्षित-02, अनुसूचित जाति-01), रीडर क्रिया शारीर, आरक्षण- अद्यतन शासनादेशानुसार आरक्षण देय है, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (₹ 67700-208700), विभाग संख्या- एस-09/03, शैक्षिक अर्हताएँ- शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :- (अ) अनिवार्य अर्हतायें- 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 5 वर्ष) 3. हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी - 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ - (1) ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा। नोट:- (1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांको तथा पूर्णांको का उल्लेख ऑन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएँ, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। आयु सीमा- न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

## उत्तर प्रदेश आयुष विभाग

01 (एक) पद (अनारक्षित-01), रीडर शल्य तंत्र, आरक्षण- अद्यतन शासनादेशानुसार आरक्षण देय है, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (₹ 67700-208700), विभाग संख्या- एस-09/04, शैक्षिक अर्हताएँ- शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :- (अ) अनिवार्य

**अर्हतायें**— 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 5 वर्ष) 3. हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **(ब) अधिमानी** — 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **(स) अधिमानी अर्हताएँ** — (1) ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा। **नोट:— (1)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख ऑन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएँ, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। **(3)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **आयु सीमा**— न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

### उत्तर प्रदेश आयुष विभाग

**04 (चार) पद** (अनारक्षित-02, अन्य पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01), **रीडर रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, आरक्षण**— अद्यतन शासनादेशानुसार आरक्षण देय है, **वेतनमान**— वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (₹0 67700-208700), **विभाग संख्या**— एस-09/05, **शैक्षिक अर्हताएँ**— शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :- **(अ) अनिवार्य अर्हतायें**— 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 5 वर्ष) 3. हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **(ब) अधिमानी** — 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **(स) अधिमानी अर्हताएँ** — (1) ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा। **नोट:— (1)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख ऑन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएँ, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। **(3)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **आयु सीमा**— न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

### उत्तर प्रदेश आयुष विभाग

**02 (दो) पद** (अनुसूचित जाति-01, अन्य पिछड़ा वर्ग-01, ) **रीडर द्रव्य गुण, आरक्षण**— अद्यतन शासनादेशानुसार आरक्षण देय है, **वेतनमान**— वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (₹0 67700-208700), **विभाग संख्या**— एस-09/06, **शैक्षिक अर्हताएँ**— शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :- **(अ) अनिवार्य अर्हतायें**— 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 5 वर्ष) 3. हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **(ब) अधिमानी** — 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **(स) अधिमानी अर्हताएँ** — (1) ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा। **नोट:— (1)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख ऑन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएँ, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। **(3)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **आयु सीमा**— न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)

### उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) विभाग

**03 (तीन)** (अनारक्षित-02, अन्य पिछड़ा वर्ग-01, ) **पद प्रधानाचार्य (एलोपैथी) (सामान्य चयन), पद का स्वरूप**— राजपत्रित एवं अस्थायी, **विभाग संख्या**— सेवा-08/01, **आरक्षण**— अद्यतन शासनादेशानुसार आरक्षण देय है, **वेतनमान**— वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 (₹0 144200-218200), **अनिवार्य अर्हतायें**— (1) एम0डी0/एम0ए0एस0 या एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता। (2) किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्था में आचार्य/सह आचार्य के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव, जिसमें से कम से कम 05 वर्ष आचार्य के रूप में होना आवश्यक है। **नोट**— **समकक्षता के लिये विदेशी स्नातकोत्तर योग्यता के संबंध में सामान्य मानदंड**: 1. ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनी स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है, उसकी योग्यता को एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच, जैसा भी मामला हो,

के साथ समकक्ष योग्यता के रूप में माना जा सकता है, अगर वह उन देशों में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। **यूनाइटेड किंगडम**: उसे विशेषज्ञ प्रशिक्षण समापन प्रमाण पत्र (सीसीएसटी) या अंतिम एफआरसी/एफआरसीपी डिग्री के साथ समकक्ष प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए और उस स्पेशियलिटी में प्रैक्टिस करने के लिये उस देश में पंजीकृत होना चाहिए। **संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा**: उसके पास यूएसए में प्रासंगिक स्पेशियलिटी में रेजीडेंसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ एमडी की डिग्री होनी चाहिए। सुपर स्पेशियलिटीज के लिए, प्रासंगिक सुपर स्पेशियलिटी में मान्यता प्राप्त अध्येता कार्यक्रम को पूरा करने के साथ-साथ रेजीडेंसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक है। **ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड**: उसे पर्यवेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना चाहिए जिसका समापन संबंधित स्पेशियलिटी के फेलोशिप (एफआरएसीएस/एफआरएसीपी) के रूप में हो, सुपर स्पेशियलिटी के लिए संबंधित सब स्पेशियलिटी में कम से कम दो साल का पर्यवेक्षित सब स्पेशियलिटी फेलोशिप प्रोग्राम जरूरी है। 2. उसे उन देशों में प्रशिक्षण की अपनी अवधि पूरी करनी चाहिए और उस स्पेशियलिटी में प्रैक्टिस करने के लिए वहां पंजीकृत होना चाहिए। 3. ऐसे मामलों में वह संबंधित विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे और उनकी अनुवर्ती पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की पात्रता योग्यता विनियम, 2022" के अनुसार होगी। 4. जब कभी संदर्भ प्राप्त होगा, तो एनएमसी द्वारा अन्य योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। **आयु सीमा**— न्यूनतम 50 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष। किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ0प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। **नोट**— अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम0सी0आई0 से रिकनाइज्ड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

### सामान्य अनुदेश

#### आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की

**अन्तिम तिथि : 15.04.2023**

#### आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की

**अन्तिम तिथि : 17.04.2023**

1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।
4. आयु गणना की निश्चयायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2023 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या-1648/79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या- 1508/15-08-2015 -3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
5. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।
7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:—  
(I) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।  
(II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।  
(III) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।
8. मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो 'ON-LINE' आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप

- श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।  
किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।  
13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र।  
13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/ डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।  
13.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।  
13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या-22/21/1983-का-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।  
13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या- 22/16/92-टी.सी.-III/का-2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।  
13.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-I। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।  
13.7 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
  - नोट:— (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक- 18 अप्रैल 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है-  
दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्त कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये चिन्हित किया गया हो।  
(2) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक - 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या- 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है" को रिट याचिका संख्या- 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारताीत (Ultra Vires) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।**
  14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
  15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/ 79-वि-1-15-1(क) 14-2015 दिनांक 07-04-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
  16. किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार

आयोग को होगा।

17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

18. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

19. आन लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, निवास, लिंग, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

20. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के "मेल बॉक्स" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

**परिशिष्ट-1:** फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।

**Detailed Application Form:**  
At the top of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

**Notification Details**  
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

**Personnel Details**  
This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

**Other Details of candidate**  
Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

**Education & Experience Details**  
It shows your educational and experience details

**Candidate address, photo & signature details**  
Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

**Declaration segment**  
At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.  
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.  
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.  
Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

**[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]**  
For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> in CANDIDATE SEGMENT

**CANDIDATE SEGMENT :- NOTIFICATIONS/ADVTs.**  
All Notification / Advertisements  
:- **ONLINE FORM SUBMISSION**  
1. Candidate Registration  
2. Fee Deposition /Reconciliation  
3. Submit Application Form  
:- **APPLICATION FORM STATUS**  
Update your transaction ID by Double Verification mode  
View Application Status  
List of Applications Having photo related Objections  
Print Duplicate Registration Slip  
Print Detailed Application Form  
:- **EXAMINATION SEGMENT**  
Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]  
:- **DOWNLOAD SEGMENT**  
Download Document of Verification for this Examination  
Download Admit Card  
Download Interview Letter : After Examination  
Download Interview Letter : Direct Recruitment  
Download Syllabus  
Know your Registration No.  
Click here to view Key Answer Sheet  
Latest Tenders  
**LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :** On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

**Appendix-1**  
The Procedure relating to upload Photo & Signature.  
**Guide Lines for Scanning Photograph and Signature**

1. Paste the Photo on any white paper as per the required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.

2. Scan the required size photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The required image dimensions is W\*H (3.5 cm by 4.5 cm)

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 35 KB and stored in jpeg, jpeg, extension file only.

5. If the size of the file is more than 25 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no colours etc., during the process of scanning.

6. The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full, initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the application and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

**Upload your Photograph and Signature:-**

1. Please upload only. jpeg, jpg extension file.
2. Size of the scanned image is not more than 35 KB.
3. Image dimension W\*H (3.5 CM\* 4.5 CM).
4. Scan and upload the Signature.

**Sample Image & Signature :-**

**Select a Latest Colored Photo**

width= 3.5 cm

Height= 4.5 cm

**Photo**

**Select a Latest Colored Signature**

width= 3.5 cm

Height= 1.5 cm

**परिशिष्ट**

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री ..... निवासी ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-I)  
उत्तर प्रदेश सरकार  
कार्यालय का नाम.....  
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र  
प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....  
वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-  
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।  
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।  
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)  
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषण पत्र  
स्वयं घोषण पत्र  
मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।  
1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।  
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।  
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।  
4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।  
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।  
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।  
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।  
नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

**Form-II**  
**Certificate of Disability**  
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)  
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.** ..... **Date:** .....

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_ registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/Street \_\_\_\_\_ Post office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is \_\_\_\_\_

(A) he/she has \_\_\_\_\_% (in figure) \_\_\_\_\_percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her \_\_\_\_\_ (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her \_\_\_\_\_ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)  
Member Member Chairperson  
Medical Board Medical Board Medical Board  
with seal with seal with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued  
Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-III  
Certificate of Disability  
(In cases of multiple disabilities)**

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.**

**Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, male/ female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/ Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table

below: (B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

- (i) not necessary, or
- (ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till .... (DD) (MM) (YY)

- @ - e.g. Left/right/both arms/legs
- # - e.g. Single eye
- £ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued  
Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-IV  
Certificate of Disability  
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)**

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.**

**Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of birth (DD/MM/ YY) \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, male/ female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/ Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of \_\_\_\_\_ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)  
2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

- (i) not necessary, or
- (ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY)
- @ - e.g. Left/right/both arms/legs
- # - e.g. Single eye/both eyes
- £ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued  
Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)  
Signature and seal of the Medical Authority.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... निवासी ग्राम- ... नगर- ..... जिला- ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।  
स्थान: हस्ताक्षर .....  
दिनांक: पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी (सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)  
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... से दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।  
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।  
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।  
स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।  
प्रारूप - 2  
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)  
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... से दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।  
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।  
यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।  
स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।  
प्रारूप - 3  
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)  
विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में

आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम)  
 प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके  
 टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त  
 किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .....  
 विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

..... पद .....

..... संस्था का नाम .....

..... मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा  
 व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

**(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद  
 में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)**

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .....

..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल  
 खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) .....

..... में ..... स्कूल में  
 कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक .....

.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .....

(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्कूल की ओर  
 से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट में .....

स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के  
 आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

..... पद .....

..... संस्था का नाम .....

..... मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट  
 ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने  
 पर मान्य होगा।

सचिव